

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- जहानागंज

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 गिरफ्तार, आधा दर्जन मुकदमे दर्ज।

दिनांक- 28.05.2022 को उ0नि0 भोला नाथ सोनकर मय हमराह को सूचना मिली कि एक व्यक्ति दौलताबाद की तरफ से पैदल भुजही के तरफ आ रहा है जिसके पास अवैध कट्टा व कारतूस है। पुलिस बल द्वारा उक्त स्थान पर पहुँचकर उक्त को पकड़ लिया गया व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम रामानन्द यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी कादीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ बताया। उसके कब्जे से एक अदद तमंचा .32 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस बरादम हुआ। समय करीब 09.30 बजे कौतुकपुर तिराहे बलई सागर जाने वाले मार्ग पर पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ विवरण— रामानन्द यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी कादीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र लगभग 29 वर्ष पूछने पर बता रहे है कि श्रीमान् जी मै उपरोक्त पत्ते का निवासी हूँ। हमारी गाव मे दुश्मनी चलती है। हमारे ऊपर गलत तरीके से मुकदमे गांव वाले लिखवा दिये है जिससे बचने के लिये सुरक्षा के दृष्टिकोण से मै एक तमन्चा व कारतूस अपने पास रखा था जिसका लाईसेन्स मेरे पास नही है। मै बाजार काम के लिये जा रहा था कि रास्ते मे पुलिस वाले चैकिंग के दौरान मुझे पकड़ लिये। मुझसे गलती हो गयी क्षमा करने की कृपा करे। मै इसे किसी भी व्यक्ति को मारुगा नही। जुर्म से इन्कार करते हुये अपनी सफाई मा0 न्यायालय मे देने को कह रहा है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0स0 211/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 211/22 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़
2. 02/20 धारा 147/148/34/120बी/302 भादवि भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
3. 70/20 धारा 188 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़
4. 01/17 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) 1986 थाना फुलपुर आजमगढ़
5. 252/16 धारा 394 भादवि थाना फुलपुर आजमगढ़
6. 296/16 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना फुलपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

रामानन्द यादव पुत्र शेषनाथ यादव निवासी कादीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र लगभग 29 वर्ष
बरामदगी

1. एक अदद तमन्चा व दो अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

- 1-उ0नि0 भोलानाथ सोनकर का0 जितेन्द्र यादव थाना जहानागंज आजमगढ़
- 2- थाना जहानागंज आजमगढ़
- 3.का0 अजीत कुमार थाना जहानागंज आजमगढ़
- 4.का0 धर्मेन्द्र यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना- निजामाबाद

युवती की अश्लील फोटो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर पैसा व गहना लेने वाले 02 नामजद अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 28.05.2022 को वादी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गयी कि मेरी पौत्री का अश्लील फोटो बनाकर 1. अभिषेक तिवारी उर्फ हैप्पी पुत्र हरिहर निवासी रघुनाथपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ 2. अजय तिवारी उर्फ टंकी पुत्र शिवाश्रय तिवारी निवासी रघुनाथपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ द्वारा वायरल करने की धमकी देकर पैसा व गहना लिया गया, के सम्बन्ध में प्रा० पत्र दिये जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 198/22 धारा- 380, 420, 384, 354 घ (1)(2) भादवि का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

दिनांक- 28.05.2022 को उ०नि० अशोक दत्त त्रिपाठी मय हमराहीयान द्वारा मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके घर व मिलने के सम्भावित स्थानों पर दबिश दी जा रही थी कि सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तगण बड़या मोड़ पर खड़े हैं कहीं भागने की फिराक में हैं। जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर मौके पर जाकर दोनों व्यक्तियों को घेरकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्त का नाम पता पुछा गया तो एक ने अपना नाम अभिषेक तिवारी उर्फ हैप्पी पुत्र हरिहर निवासी रघुनाथपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ तथा दूसरे ने अपना नाम अजय तिवारी उर्फ टंकी पुत्र शिवाश्रय तिवारी निवासी रघुनाथपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ बताया कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 10.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग –

मु०अ०सं० 198/22 धारा- 380, 420, 384, 354 घ (1)(2) /457, 354 भादवि थाना निजामाबाद आजमगढ़। बढोत्तरी धारा- 457, 354 भादवि।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभिषेक तिवारी उर्फ हैप्पी पुत्र हरिहर निवासी रघुनाथपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़
2. अजय तिवारी उर्फ टंकी पुत्र शिवाश्रय तिवारी निवासी रघुनाथपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० अशोक दत्त त्रिपाठी थाना निजामाबाद, आजमगढ़
2. का शखावत थाना निजामाबाद, आजमगढ़
3. का० कृष्ण कुमार यादव थाना निजामाबाद, आजमगढ़
4. रि०का० अखिलेश कुमार थाना निजामाबाद, आजमगढ़

थाना- रौनापार

अवैध तमंचा व दो जिन्दा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक- 28.05.2022 को चौकी प्रभारी उ०नि० श्री शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा थाना रौनापार क्षेत्र अन्तर्गत त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग जरिये मुखबीर द्वारा सूचना ग्राम सहनुपुर से समय करीब 05:35 बजे एक नफर अभियुक्त रामधन यादव S/O पूनवासी यादव R/O छपिया टेकनपुर PS रौनापार जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 173/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 173/2022 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

रामधन यादव S/O पूनवासी यादव R/O छपिया टेकनपुर PS रौनापार जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

एक अदद तमंचा .315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर अभियुक्त के पास से बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष अखिलेश चन्द्र पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. उ०नि० श्री शंकर कुमार यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का० रामसागर यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. का० सत्य प्रकाश यादव थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
5. का० शक्ति चन्द थाना रौनापार जनपद आजमगढ़